Global Journal of Multidisciplinary Studies
ISSN:- 2348-0459
Volume 9, Issue 3, February 2021
Available online at www.gjms.edwin.co.in

भारतीय समाज में वैधव्यः एक अभिशाप (राजस्थान के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से 1987 तक)

डॉ. धीरा शाह
सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)

प्रस्तुत शोधपत्र में भारतीय समाज में वैधव्य की स्थिति पर अध्ययन किया गया है। अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। समाज के प्रत्येक सदस्य को साहस एवं स्थिरता के साथ विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्य करना होगा। यदि कोई महिला विधवा हो जाए तथा उसे दूसरी शादी करने की इच्छा हो, तो उसे प्रेरित करना चाहिए। ससुराल पक्ष द्वारा भी विधवा बहू को अपनी बेटी मानते हुए योग्य वर का चयन करने में सहयोग करना चाहिए। अतः समाज को वे सभी प्रयास करने चाहिए, जिससे विधवाएँ अपने वैधव्य के अभिशाप से मुक्त हो सके एवं उनका समुचित विकास हो, जिससे स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके।

विधवा होना किसी भी महिला के लिए अभिशाप से कम नहीं है लेकिन जन्म–मरण सष्टि का नियम है, यदि सष्टि में किसी का जन्म हआ है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है ऐसी स्थिति में दम्पतियों में से यदि पत्नि की मृत्यु पहले हो जाती है तो पति विदूर कहलाता है और यदि पति की मृत्यु पहले हो जाये तो उसकी पत्नि विधवा कहलाती है। भारतीय समाज में विदूर को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया था। वैदिक साहित्य, धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण आदि के विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन समाज में विधवा–स्त्री को भी पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था यथाः– ऋग्वेद में विशेष परिस्थितियों में विधवा–स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया था ये विशेष परिस्थितियाँ थी। पति का मर जाना, बहुत दिनों तक प्रवास में रहना, संबंध विच्छेद हो जाना या संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होना। पुनर्विवाह करने वाली विधवा स्त्री को परपूर्वा कहा जाता था। पराशर स्मृति के अनुसार :

ब्रह्मणाः क्षत्रियाः वेश्याः शुद्र स्वकुलयोविषताम्।

पुनर्विवाह कुर्वरिन यथा पाप सम्भवः ।।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की विधवाओं का पुनर्विवाह कर देना चाहिए। अन्यथा पाप कर्म (व्यभिचार) होने की सम्भावना है।

नष्टे मृते प्रवृजिते क्लीवे च पतिते पती।

पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयत।।.

देवराय मृते देया तदभावे यथेच्छा।।

पति के मरने, नष्ट होने, चले जाने, नपुंसक होने व पतित होने पर स्त्री का पुनर्विवाह कर दूसरा पति कर देना चाहिए। पहले देवर को देना उसके अभाव में जिसकी इच्छा हो उसके साथ संस्कार कर देना चाहिये। वशिष्ठ धर्म सूत्र ने विधवा स्त्री को राय दी है कि वह पति के मरने पर अपने देवर को अपना पति बना लें। और ऐसी स्त्री को 'पूनर्भु' की संज्ञा दी गई। तैतितरीथ आरण्यक में लिखा है– "हे नारी! तु इस मृतक पति के समीप सोती है! सो उठ! और इस जीवलोक के आगे आ! पुनर्विवाह की इच्छा करने वाले पाणिग्राही पति के इस पत्नीत्व को प्राप्त हो। ब्रह्मपुराण के अनुसार

यदि सा बाल–विधा बलात्यवक्तायथा क्वचित् ।

तदा भूयस्तु संस्कार्या गृहीता येन केनचित्।।

बालविधवा या जो बलवश त्याग दी गई या किसी के द्वारा अपहृत हो चुकी हो उसके विवाह का नया संस्कार हो सकता है। कौटिल्य ने भी अपने धर्मशास्त्र में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति देते हुये लिखा है– कि मरे हुए पति की पत्नि को सात ऋतुमास तक जोहकर तथा यदि उसे एक बच्चा हो तो, साल भर तक जोहकर, अपने पति के सगे भाई से विवाह कर लेना चाहिए, यदि भाई न हो तो किसी नजदीकी (निकट) रिश्तेदार से जो उसका भरण–पोषण कर सके एवं अविवाहित हो विवाह करना चाहिए। ऐसे अनेकों उदाहरण अथर्ववेद (5/ 17/ 8–9), याज्ञवल्क्य स्मति (1/ 167) तथा बौधायन धर्मसूत्र में मिलते है जिनमें विधवा के पुनर्विवाह के संस्कार की बात कही है।

लेकिन आपस्तम्बधर्मसूत्र (2/ 6/ 13/ 3–4) ने पुनर्विवाह की भर्त्सना की है मनु ने मनुस्मृति (4/ 162) में विधवा के पुनर्विवाह का विरोध किया है, ब्रह्मपुराण ने भी कलियुग में विधवा–विवाह निषिद्ध माना है और गृहसूत्र तो विधवा–पुनर्विवाह के विषय में मौन है लगता है तब तक यह विवाह वर्जित सा हो चुका था केवल यत्र तत्र ऐसी घटनाएं घट जाया करती थी।)

प्राचीन एवं अर्वाचीन स्त्रोतों से स्पष्ट होता है कि धीरे–धीरे भारतीय समाज में कछ उदाहरणों को छोडकर विधवा–पुनर्विवाह प्रतिबंधित हो गये थे वैधव्यवृत को सांस्कृतिक परम्परा का आदर्श एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मान लिया गया था। इसी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए हिन्दू समाज विधवाओं को पुनःविवाह की अनुमति नहीं देता था उच्च जातियों में तो विधवा पुनः विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध था। भले ही विधवा एक जवान युवती हो छोटी उम्र की बालिका हो, शादी होते ही उसका पति मर गया हो या उसने अपने पति की सूरत ही क्यों न देखी हो, किसी भी स्थिति में विधवा को विवाह करने की अनुमति नहीं थी।

पति की मृत्यु के पश्चात विधवा स्त्री को स्वेच्छा से या मजबूरीवश वैधव्यवृत्त कापालन करना ही होता था वैधव्यवत का पालन करते हुये विधवा को जीवन भर वैधव्य के कठिन मार्ग पर चलना होता था। साहित्य में विधवाओं की आमरण दिनचर्या इस प्रकार दी है– "उसे बाल संवारना छोड़ देना चाहिए, पान–खाना, गन्ध, पुष्प, आभूषण एवं रंगीन परिधान का प्रयोग छोड देना चाहिए, पीतल–कॉसे के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए, दो बार भोजन करना, अंजन लगाना आदि त्याग देना चाहिए, उसे श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे इन्द्रियों एवं क्रोध को दबाना चाहिए, धोखा घड़ी से दूर रहना चाहिए, प्रभाव एवं निन्दा से मुक्त होना चाहिए, पवित्र एवं सदाचरण वाली होना चाहिए. सदा हरि की पूजा करनी चाहिए रात्रि में पृथ्वी परकुश की चटाई पर शयन करना चाहिए, मनोयोग सत्संगति में लगा रहना चाहिए। मुख पर लेप नहीं करना चाहिए, विधवा के कबरी बन्ध (सिर के केशों को संवार कर बाधने) से पति बंधन में पड़ता है, अतः विधवा को अपना सिर मुण्डित रखना चाहिए, उसे दिन में एक बार खाना चाहिए। जो स्त्री पर्यक पर शयन करती है वह अपने पति को नरक में डालती है। विधवा को अपना शरीर सुगंधित लेप से स्वच्छ नहीं रखना चाहिए और न उसे सुगंधित पदार्थ का सेवन करना चाहिए, उसे प्रति दिन तिल, जल एवं कुश से अपने पति, पति के पिता एवं पति के पितामह के नाम एवं गौत्र से तर्पण करना चाहिए, उसे मरते समय भी बैलगाड़ी में नहीं बैठना चाहिए उसे कंचुकी (चौली) नहीं पहननी चाहिए, उसे रंगीन परिधान नहीं धारण करने चाहिए तथा वैशाख, कार्तिक एवं माध मास में विशेष वृत करना चाहिए। उपर्युक्त दिनचर्या से स्पष्ट है कि विधवा स्त्री को सांसारिक सुखों से पूर्णतः वंचित कर दिया गया था उत्तम स्वादिष्ट भोजन, श्रंगार एवं नाना रंगी परिधान पहिनाना विधवा के लिए वर्जित था पक्के रंग की हरी, गहरी लाल या काली ओढ़नी

Global Journal of Multidisciplinary Studies
ISSN:- 2348-0459
Volume 9, Issue 3, February 2021
Available online at www.gjms.edwin.co.in

सफेद छींट या पक्के रंग का घाघरा (लहंगा) आभूषण विहीन शरीर और सन्यासवृता के त्यागी गुण विधवा स्त्री के लिये आवश्यक थे और यही उसकी पहचान थी।

इन्हें केवल जीवन निर्वाह के लिये भोजन दिया जाता था, पहनने घूमने–फिरने का अधिकार नहीं था सिर मुंडवा दिया जाता था।12) नंगी धरती पर सोना पड़ता था यह सब तो उनके दुःखों की चंद झलकियां मात्र है। सबसे दुःखद स्थिति यह थी कि जो स्त्री अपने घर को संवारने में अपना पूरा जीवन लमा देती थी और पति की जीवित अवस्था में घर की स्वामिनी होती थी पति के मरते ही उस घर में वह कुछ नहीं रह जाती थी अर्थात् घर व समाज में वह मृतवत समझ ली जाती थी घर व समाज में उनका स्थान नितांत – अपमानजनक और निकृष्ट हो जाता था परिवार के कनिष्ठतम व्यक्ति का रुतबा भी उनसे ऊपर ही होता था वह किसी सामाजिक तथा वैयक्तिक कार्य में भी भाग नहीं ले सकती थी उसे अपशगुनी.. अमंगलों में सबसे अमंगल, एवम् सिद्धि प्राप्ति में बाधक माना जाता था। पति की मृत्यु के पश्चात उसका पति की सम्पत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं होता था। जीवन–निर्वाह के लिये भी वह पूर्णतः परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित हो जाती थी कई मामलों में तो परिवार का ऐसा व्यक्ति सम्पति का मालिक बन जाता था। जिसका उस सम्पत्ति के बनाने में कोई हिस्सा नहीं होता था। अपने पिता के घर से भी वह दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दी जाती थी ऐसी स्थिति में या तो वह आत्मदाह कर लेती थी या जीवन भर अपमानित जीवन व्यतीत करती थी या फिर दर–दर भीख माँगने के लिये बाध्य हो जाती थी हिन्दू शास्त्र की आज्ञा होने के कारण वह पढ़ लिख भी नहीं सकती थी और दूसरे विवाह की तो वे कल्पना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि समाज के लोग मानते थे कि विधवाओं को अधिकार देना हिन्दू शास्त्र के विरूद्ध है सांसारिक सुख सुविधाएं उनके लिये नहीं है। उन्हें सन्यासियों का जीवन ही बिताना चाहिए इस प्रकार वैधव्य विधवाओं के लिए एक भयानक अभिशाप बन गया।

विधवाओं की यह शोचनीय, दयनीय अपमानजनक, अकल्पनीय स्थिति अर्वाचिक काल तक बनी रही। लेकिन हिन्दू समाज का विधवाओं की इस दयनीय स्थिति से कोई उद्धार नहीं हुआ। अपितु विधवा पुनर्विवाह पर लगाये गये प्रतिबन्ध तथा विधवाओं को दी गई प्रताड़नाओं से समाज में नैतिक संकट ही उत्पन्न हुआ, दुश्चरित्रता फैली पुनः विवाह पर लगे प्रतिबन्धों के कारण अधिसंख्य मामलों में विधवाओं का नैतिक पतन हुआ। वे पापाचार, वैश्यावृत्ति की और उन्मुख हई। खतरनाक पैमाने पर अवैध सन्तानोत्पत्ति एवं गर्भपात हुआ अन्य मामलों में अभागी हिन्दू विधवाएं घर छोड़ने तथा निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दी गई। बहुत सी विधवाएं विवाहित जीवन बिताने की इच्छुक परिवार वालों की सहायता न पाकर घरों को छोड़ कर अवैध संबंध स्थापित करने को मजबूर हो जाती थी। अनेकों स्वार्थी लोगों के पंजे में फंस जाती थी कुछ परिवार में रहते हुए छिप छिप कर व्याभिचार और भ्रूण हत्या करती थी तो कुछ वैधव्य के नारकीय जीवन से बचने के लिये आत्मदाह कर लेती थी।18) पुनर्विवाह प्रतिबन्ध के कारण विधवाओं का सामाजिक आश्रय संदिग्ध रहता था। ऐसी स्थिति में अनाथ एवं पीडित विधवाएं आत्मदाह का मार्ग अपनाने पर विवश थी। जिस में सती हो जाना सबसे सुगम मार्ग था। मानसिक विक्षिप्ता के कारण पति के साथ अथवा कई वर्ष पश्चात भी विधवायें सती होना स्वीकार कर लेती थी।

विधवाओं के प्रति समाज द्वारा किया गया यह व्यवहार असहनीय, अकल्पनीय, लज्जाजनक व घृणित अपराध था विधवाओं की यह स्थिति समाज के ऊपर एक कलंक थी इससे न केवल सामाजिक उन्नति ही रूकी बल्कि शारीरिक और मानसिक उन्नति भी रूक गई। समाज का अर्धांग, कुष्ट रोग से सर्वथा अपंग होता गया।22) धीरे धीरे समाज सुधारकों का ध्यान विधवाओं की दयनीय स्थिति पर गया और समाज सुधारकों ने विधवा–विवाह को वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण व शास्त्र सम्मत माना। ईश्वर चन्द विद्यासागर के अनुसार वैदिक साहित्य

Global Journal of Multidisciplinary Studies
ISSN:- 2348-0459
Volume 9, Issue 3, February 2021
Available online at www.gjms.edwin.co.in

विधवा–विवाह की अनुमति देता है। विद्वान लेखक हेमराज ने स्मृतियों से ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये है जिनमें विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। महात्मा गांधी ने भी विधवा– पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए कहा था कि विधवा के पुनर्विवाह से धर्म और सतीत्व का नाश नहीं होता अपितु रक्षा होती है यदि वैधव्य का स्वेच्छा से पालन होता है तो इसमें । कोई बुराई नहीं है क्योंकि विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था से जरूरी नहीं है कि सभी विधवायें पुनर्विवाह करें। जिन समाजों में ऐसी स्वतंत्रता है वहां भी सभी विधवायें या सभी विधुर पुनर्विवाह नहीं करते किन्तु वैधव्य का ब्लात् पालन कराया जाना एक निन्दनीय कार्य है जिसका प्रतिकार करना सभी का नैतिक दायित्व है। जो विधवा पुनर्विवाह करना चाहती है उसके मार्ग में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालनी चाहिये।ऐसे समाज सुधारकों के प्रयासों से ही 1856 का हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से पास हुआ जिसमें विध वा–विवाह को वैध माना गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे भी वैध द्य घोषित किए गए। राजस्थान के राज्यों में भी विधवा विवाह को कानूनी घोषित किया गया

रियासत	विधवाओं की उम्र (वर्षों में)					
	1–10	11–15	16–20	21–30	31–40	अन्य
जयपुर	644	1253	2277	11908	273331	193925
जोधपुर	11075	1033	2121	11109	24690	174925
उदयपुर	252	585	1341	18525	16148	123411
बीकानेर	455	672	1453	5695	9500	68664
अलवर	17	153	447	3197	7075	47431
सिरोही	222	137	184	854	2069	15113
कोटा	108	206	576	3468	8545	1920
बूंदी	24	70	153	894	4141	15226
भरतपुर	30	99	201	1835	4984	31476
करौली	16	50	101	622	1395	9297
डूंगरपुर	1	51	185	1298	2441	15543
धौलपुर	15	73	160	1050	2521	16743
शाहपुरा	44	29	36	211	501	3992
जैसलमेर	7	36	122	777	1533	7359
बांसवाडा	10	50	137	1061	2224	14522
झालावाड	39	68	130	799	1453	9212
किशनगढ़	30	57	81	404	985	7288
पालनपुर	147	170	205	1093	2654	20056
टोंक	42	101	275	1361	2856	21191
अजमेर + मेरवाडा	129	200	385	763	1430	38079
योग	3571	5093	110640	56924	124509	88634330

(यथा–1926 में भरतपुर में विधवा–विवाह को कानूनी घोषित किया गया) 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से हिन्दू विधवाओं को पति की सम्पत्ति में भाग दिलवाने वाला बिल असेम्बली में प्रस्तुत किया। 1937 में भारतीय व्यवस्थापिका ने डॉ. देशमुख का वह बिल पास कर दिया जिसमें हिन्दू समाज की विधवाओं को अपने पति की सम्पत्ति में भागीदार बनने का अधिकार स्वीकार किया गया। अनेक अनाथालय खोले गये, अनेको विधवा पुनर्विवाह भी करवाये गये।

लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी राजस्थान में विधवाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत द्वारा दिये गये 1947 के आंकड़ों से विधवाओं की वस्तु स्थिति साफ नजर आ जाती है। वर्ष 1 से 10 वर्ष की आयु की 3571, वर्ष 11 से 15 वर्ष की 5093, वर्ष 16 से 20 वर्ष की 10640, वर्ष 21 से 30 वर्ष की 56924, वर्ष 31 से 40 वर्ष की 124509 एवं शेष अन्य 886343 विधवाएं विविध रियासतों में थी। विधवाओं की उपर्युक्त स्थिति को नीचे दी गई सारणी से आसानी से समझा जा सकता है –

आज भी विधवाओं की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। आज भी बाल विवाह के कारण कम उम्र में ही युवितयां विधवा हो जाती है और जीवन भर वैधव्य की कठोरता को झेलती है। सैकड़ों विधवायें हाहाकार कर रही है। आत्मधात कर रही है। इनके करूण कुन्दन को सुनकर भी कोई इन्हें वैधव्य की स्थिति से निकालने का प्रयास नहीं करता?विधवाओं के लिये कानून बना है सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में एवं सरकारी नौकरियों में विधवाओं के लिए आरक्षण आवश्यक रूप से लागू किया है। लेकिन समाज के लोगों की मानसिकता नहीं बदली है अभी भी विधवाओं के प्रति अमानवीय दृष्टिकोण रखा जाता है।

आवश्यकता है समाज की मानसिकता को बदलने की। विधवाओं के प्रति सकारात्मक दृ ष्टिकोण रखने की और यह सोचने की कि विधवा भी समाज की मानवीय प्राणी है।

अतः समाज के प्रत्येक सदस्य को साहस एवं स्थिरता के साथ विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न करना होगा। यदि कोई महिला विधवा हो जाये तथा उस को दूसरी शादी करने की इच्छा हो तो उस को प्रेरित करना चाहिये। सुसराल पक्ष द्वारा भी विधवा बहु को अपनी बेटी मानते हुए योग्य वर का चयन करने में सहयोग करना चाहिये। नाता प्रथा द्वारा भी विधवा के कष्टों को दूर करना चाहिये। यदि धार्मिक आदर्शों के नाम पर विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह केवल रूढ़िवादी धर्म के अंग मात्र है। यह मौलिक धर्म नहीं है। अतः समाज को वे सभी प्रयास करने चाहिये जिससे विधवाएं अपने वैधव्य के अभिशाप से मुक्त हो सके एवं उनका समुचित विकास एवं स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके।

संदर्भः

- ऋग्वेद – 10/ 4/ 210/40/2
- पराशर स्मृति 4/20 बोष्ट गायन स्मृति चन्द्रिका 1/75 त्यागभूमि वैशाख सं. 1986, पृ. 179
- वशिष्ठ मि सूत्र 17/15/80,17/74
- वशिष्ठ धर्मसूत्र 16/19/20
- तैत्तिरीय आरण्यक के 6 प्रपाठ के 1 अनुवाक में।
- ब्रह्मपुराण – अपरार्क पृ. 97 में उद्धत।
- कौटिल्य अर्थशास्त्र – 3/4.
- काणे, पांडुरंग वामन – धर्मशास्त्र का इतिहास पृ. 346:
- नवज्योति–22 जनवरी 1941 पृ. 6.
- वृद्धहारीत – 11/205–210, बाण हर्षचरित – 6 अंतिम वाक्यांश, आदिपर्व – 160/12, स्कन्दपुराण – काशीखण्ड 4/71–106.
- डॉ. गोपाल वल्लभ व्यास – मेवाड का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पृ 185
- स्वतंत्र भारत – 12 अप्रैल 1947 15 शंभूनाथ सामाजिक क्रान्ति के दस्तावेज – पृ86(हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के विचार)1

- नवज्योति – 14 फरवरी 1937. पृ. 4 काणे पांडुरंग वामन काणे धर्मशास्त्र का इतिहास पृ. 332, विधवा धर्म।
- शभुनाथ – सामाजिक क्रान्ति के दस्तावेज पू. 677.
- वहीं पृ. 674.
- राधा कुमार – स्त्री संघर्ष का इतिहास पृ. 44.
- आर्य मार्तण्ड –23 मई 1929 पृ.3
- वहीं।
- सीरोदा वंशावली (ह.प.) पृ. 34–40, साहित्य संस्थान प्रतियाँ।
- राजपूताना एजेन्सी रिकार्ड (मेवाड़) 1861–62, भाग 3 से 85.
- नवज्योति – 14 फरवरी 1937, पृ. 4 विधवाओं का अधिकार नवज्योत – 28 फरवरी 1937, पृ. 5.
- आर्य मार्तण्ड – 14 जून 1942 पृ.8 राजस्थान की विधवायें।
- आर एल. शुक्ल – आधुनिक भारत का इतिहास, पृ. 257.
- त्याग भूमि – वैशाख सं. 1986 पृ. 179
- यंत्र इंडिया – 5 अगस्त 1926, पृ.5 नवजीवन – 11 जुलाई 19233य डॉ. रामगोपाल सिंह – सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष – पृ 24 से उद्धत।
- आर. एल. शुक्ल पृ. 257.
- बीकानेर आकाइब्ज – महकमा खास फाइल 2615 (सामाजिक), तरुण राजस्थान –22 अप्रैल 1929 पृ.5
- आर्य मार्तण्ड दृ 20 जनवरी 1930 फू 1.
- नवज्योति – 14 फरवरी 1937, पृ. 4 विधवाओं का अधिकार।
- स्वतंत्र भारत – 12–4–47. पृ. 6.